ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 480-482

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

पंचायत राज में चुनाव प्रणाली

रामभजु राम
प्रा0 वि0 बगहाँ शैदा, थावे–गोपालगंज (बिहार), भारत

Received- 05.08.2020, Revised- 09.08.2020, Accepted - 13.08.2020 E-mail: gkprishi11@gmail-com

सारांश : ***स्वतंत्रता के बाद पंचायतों का दुर्भाग्य यह रहा है कि उनके चुनाव लागातार नहीं हो सकें। जब कभी राज्य स्तर पर सता का परिवर्तन हुआ तो चुनाव कर दिए अथवा नहीं। 73 वें संशोधन ने पंचायतों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के वाद करना अनिर्वाय है। अधिनियम के प्रावधान था कि जो पंचायतों पूर्व कार्यकाल पूरा कर सकती है। इस श्रेणी में अरुणांचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि राज्य आते हैं। शेष राज्यों की 23 अप्रैल 1994 के तुरन्त बाद चुनाव करा लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नही हुआ। मध्यप्रदेश हरियाणा तथा त्रिपुरा ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने 1994 में पंचायतों के चुनाव कराए। अन्य राज्यों में पंचायतों का चुनाव 1995 के आखिर और 1996 के दौरान कराए उड़िसा जैसे राज्यों का चुनाव तो 1997 में ही सम्पन्न हुए। वह भी तब चुनाव कराने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को संविधान की अवहेलना न करने और केन्द्रीय सहायता बन्द करने कि धमकिया दी तब जाकर राज्यों में पंचायतो का चुनाव कराए।***

कुंजीभूत शब्द– स्वतंत्रता, दुर्भाग्य, अधिनियम, कार्यकाल, अवहेलना, धमकिया, तत्वाधान, कार्यान्वित, पंचायती राज।

प्रथम सामान्य निर्वाचन–उत्तर प्रदेश में पंचायतों के गठन के गठन के लिए 1949 में प्रथम बार समान्य निर्वाचन सरकारी अधिकारीयों के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ था। इसमें 36129 गावों में पंचायतो को प्रभावी रुप से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पंचायती राज्य निरीक्षक, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, उपविकास आयुक्त तथा पंचायत निदेशक की नियुक्तया होती गई।

इस अधिनियम के अनुसार गांव के वे सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होगे जा केवल पागल कोढी अपराधी एंव सरकारी कर्मचारी नही होगे। गांव बैठक रबी एवं खरीफ दोनो फसलों के पूर्व होगी। इसके सदस्य आपस में एक प्रधान तथा क उप प्रधान चुनेंगे। इसका कार्य काल 3–वर्ष होगा, एक कार्यकारणी होगी जिसे ग्राम पंचायत कहेगे। इनकी सदस्यों की संख्या 30 से 51 के बीच की होगी। इनके सदस्यों में से हर वर्श 1/3 अवकाश ग्रहण करेगे। 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम प्रधान होगा। भारत में प्रंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं एवं प्रतिनिधियों को सभी राज्य में अलग–अगल नामों से जाना जाता है। ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं को अलग–अलग सभी राज्यों में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के नाम पंचायत क गठन किया गया। इस स्तर पर ग्राम प्रंचायतों एवं ग्रमा सभाओं (भूमि प्रबन्धक समितियों) का क्षेत्र सामान्य हो गया। गांव सभा का वह प्रत्येक व्यक्ति सदस्य हो सकते है। जिनका कुटुम्ब रजिस्टर में नाम हो तथा वयस्क हो।29

प्रथम पंचवर्षीय योजना और पंचायती राजः– स्वतंत्र होन के पश्चात भारत के सर्वागीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनायें निर्मित करेन की रुपरेखा तैयार की गयी। परिणामस्वरुप भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 से 1956 क्रियान्वित की गयी। भारत की इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास योजना को प्रमुखता दी गयी इस योजना के अवधी में ग्रामीण विकास के संस्थाओं की स्थापना के लिए योजना आयोग विशेष बल प्रदान किया था। ए0के0 डे ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक राजनीतिक और समाजिक प्रजातंत्र एक ही साथ लाना चाहिए। इनकी मान्यता है कि इन संस्थाओं का क्षेत्र इतना व्यापक होना चाहिए जिससे यह कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सके। जो परम्परावादी समाज को बदलने के लिए आवश्यक हैं।30

प्रो0 इकबाल नरायन का मत है कि पंचायती राज तीन आयाम वाली व्यवस्था मानी जानी चाहिए। ये तीनों आयात आधुनिकीकरण लोकतांत्रिक तथा राजनीतिकरण के लक्ष्यों के रुप में विकास में है। प्रों0 डे एस0 के पंचायती राज अधिनियत, 1962। के लिए कोई बेहतर विकल्प नहीं है।38 इस संबंध में योजना आयेग का विचार थ कि हमें विश्वास हैं यदि पंचायत केवल उस विकास के जीवन्त प्रक्रिया से सम्बद्ध रहेगी, जिसमें स्वयं ग्राम पंचायत को फलोत्पादक भागीदारी प्रदान की गयी है तो वह आने नागरिक कर्तव्यों को संतोशजनक ढंग से पूर्ण कर सकेगी।39 प्रथम पंचवर्षीय योजना में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित विचार प्रकट किये थे– संविधान के द्वारा केन्द्र और राज्यों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया जा चुका है परन्तु काफी समय से स्थानीय स्वशासित संस्थायें समान संस्थागत प्रश

ासनिक ढांचे के साथ लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने में असमर्थ

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

रही है। स्थानीय स्वशासित संस्थाये विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इसलिए और भी आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों की स्वशासित संस्थाओं में परस्पर संबंध बनाये रखने के लिए सुविधापूर्ण प्रबंध कर सकती हैं उदाहरणपूर्ण ग्राम पंचायत जिला परिषद या सबडिविजनल स्थायी बोर्ड के साथ।40

इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण स्थानीय स्तर पर प्रशासन एवं विकास के लिए उचित अभिकरणों की स्थापना पद बल प्रदान किया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 1122 विकास खण्ड बिहार गोवा (जिला स्तर) चंडीगढ लक्षद्वीप और पांडिचेरी में पंचायत चुनाव होने बाकी है। अरुणांचल प्रदेश और असम में चुनाव की अवधि नियम की गयी हैं स्पष्ट है कि राज्यों में पंचायतों के चुनाव कराने में राजनैतिक दलों ने कोई इच्छा नहीं दिखाई है। कुल मिलाकर चुनाव कराना जबरजस्ती रही।

पंचायतों के स्वायत शासन की संस्थाए स्थापित करना:–73 वे संविधान संशोधन की धारा 243 (छः) के अनुसार राज्य के विधान मण्डल पंचायतों की ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा। जिन्हें वह स्वायत शासन की संस्थाओं के रुप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। उसके अलावा उन्हें आर्थिक तथा समाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार भी दिया गया है। जिसमें 11वीं सूची में 29 विषय शामिल है। इसका अर्थ यह है कि पंचायतों के कार्यात्मक वित्तीय तथा प्रशासनिक स्तर स्वायत होना चाहिए। लेकिन राज्यों के पंचायती राज्य अधिनियमों का अध्ययन बताता है कि उन्हें किसी प्रकार की स्वायत्ता प्राप्त नहीं है ये स्वायत्ताएं इस प्रकार है–

1. कार्यात्मक स्वायत्ता:– ग्राम सभा का प्रावधान सभी राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में किया गया है। लेकिन अधिकतर राज्यों में इसें विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श करने का ही अधिकार दिया गया है। तमिलनाडु तथा पंजाब के अवश्य इसे वापिस ले लिया गया है। कर्नाटक में न्यायिक कार्य पंचायतों से छिन लिये गये थे। लेकिन 1996 में राज्य सरकार ने पंचायती राज स्थापित करने के लिए पंचायत अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है जो एक स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर पंचायतों को बहुत सीमित दायरे में कार्य करने का अधिकार दिये गये है।

2. वित्तीय स्वायत्ता:– विता के बिना पंचायतों को कितने ही कार्य क्यों न दिया जाय, उनका कोई औचित्य नहीं होती, पंचायती राज अधिनियमों को वित से संबंधित प्रावधान बताते है कि ग्राम पंचायतों को ही अधिक मात्रा में कर लगाने का अधिकर दिये गये है। मध्यम तथा जिला स्तर पर कोई खास अधिकार नहीं दिये गये हैं लेकिन ग्राम पंचायतों भी कर लगाने में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाय तो गुजरात तथा कर्नाटक में पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से स्वायत बनाने का प्रयास किये गये है। गुजरात में यदि ग्राम पंचायतें अपने कार्या के संपादन में विता की समस्या अनभुव करती हैं तो पंचायती समिती उनकी सहायता करेगी।

3. समस्त विकास कार्यक्रमों का सम्पादन इन्हीं तीनों स्तरों की संस्थाओं के द्वारा निष्चित किया गया।

साधारण पंचायती राज का अर्थ यह है कि यह ग्राम खण्ड तथा जिला स्तर पर लोकप्रिय और लोकतांत्रिक संस्थाओं का एक ऐसा अंतसंबंधित सग्रह है जिसमें जनता के प्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां तथ जिला परिषद और साथ ही सहकारी संगठन सरकार की विभिन्न विकसित एजेन्सियों के समर्थन व सहायता के आधर पर एक टीम के रुप में मिलकर कार्य करती है।32

मेहता समिति के रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी करते हुए डाटसन ने कहा कि ग्रामीण लोगों में लोकतांत्रिक मानसिकता की कमी क्यों पायी जा रही है।33

इस मौलिक प्रश्न का सही ढंग से अध्ययन करने तथा निदान निकालने का प्रयास नहीं किया गया है। मैडिक का कहना है कि पंचायती निकालने का प्रयास नहीं किया गया है। मैडिक का कहना है कि पंचायती संस्थाओं से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के भूमिकाओं को स्पस्टतः परिभाषित किया जाना चाहिए था। मेहता दल की सिफारिशें एक ऐसे प्रतिमान को प्रस्तावित करने के पक्ष में थी जिसके माध्यम से अधिकाधिक जनसहयोग प्राप्त कर ग्रामीण विकास के कार्यो के गति को तेज किया जा सके। लेकिन पंचायती राज के अंतर्गत तीन स्तरीय व्यवस्था की स्थापना के कर्नाटक में तो प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष में एक लाख रुपये राज्य सरकार से अनुदान के रुप में विभिन्न विकास कार्यो के लिए हस्तांतरित होगें। संविधान संशोधन के अनुसार सभी राज्यों ने इनका गठन किया था। अब तक मध्यप्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के आयोगों ने ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। बहुत अफसोस की बात है कि सभी राज्यो पंचायती राज अधिनियम संविधान संशोधन को ध्यान में रख कर बनाया गया कानून 23 अप्रैल 1994 को लागू किया था। तीन वर्ष बीत चुके है लेकिन अभी भी सभी राज्यों के वित आयोग की रिपोर्ट आनी बाकी है।

4. प्रशासनिक स्वायत्ता:–

1. पंचायतों को प्रशासनिक स्वायत्ता तभी प्राप्त होगी

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

जब उनके अपने अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे और राज्य सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन पंचायत अधिनियमों के अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा नहीं है।

2. वर्तमान में यद्यपि 250 की जनसंख्या पर गांव पंचायत गठित है। लेकिन उपर्युक्त रिपोट के अनुसार 15000–30000 के बीच वाल गांवों की जनसंख्या वाले समूह को मिलाकर मण्डल पंचायत होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में यह जनसंख्या वाले समूह को मिलाकर मण्डल पंचायत होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में यह संख्या कम भी की जा सकती है। इकबाल कहते है कि जब विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य आधुनिकीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण करना था, वहां पंचायती राज का उद्देश्य आधुनिकीकरण के उप्रेरक प्रतिनिधियों के रुप में प्रभावशाली और विकास के और उन्मुक्त ग्रामीण नेतृत्व को विकसित करना था।31

पंचायती राज को नौकरशाही दृष्टिकोण से भी देखा गया है जिसके अनुसार ऐसी प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पृथक्करण के कारण सभी प्रकार के कार्यो को स्थानीय स्तर पर उपयुक्त रुप से संचालित नहीं किया जा सकता है।

पंचायती राज का मौलिक सिंद्धातः–

1. पंचायती राज व्यवस्था ग्रामों से लेकर जिले तक तीन स्थानीय स्वायत संस्थाओं में विभक्त है। इनमें आपस में पारस्परिक संबंध है। ये संस्थायें चेतनरुप से कार्यान्वयन के हर स्तर पर एक–दूसरे से जुड़ी हुई है।

2. इसकी सत्ता तथा इनके दायित्व इनमें हस्तांतरित होकर सम्मिलित है।

3. लेकिन फिर भी इनके अपने अलग–अलग श्रोत एवं साधन और इनके अलग–अलग श्रोत एवं साधन हैं और इनके अलग–अलग उत्तरदायित्व है। इनके निरुपण के पश्चात इनके अपने स्थानीय श्रोत तथा उत्तरदायित्व नवनिर्मित संस्थाओं में हस्तांतरित हो गये।

निष्कर्षः–स्वतंत्रता के बाद पंचायतों का दुर्भाग्य यह रहा है कि उनके चुनाव लागातार नहीं हो सकें। जब कभी राज्य स्तर पर सता का परिवर्तन हुआ तो चुनाव कर दिए अथवा नहीं। 73 वें संशोधन ने पंचायतों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के वाद करना अनिर्वाय है। अधिनियम के प्रावधान था कि जो पंचायतों पूर्व कार्यकाल पूरा कर सकती है। इस श्रेणी में अरुणांचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि राज्य आते हैं। शेष राज्यों की 23 अप्रैल 1994 के तुरन्त बाद चुनाव करा लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नही हुआ। मध्यप्रदेश हरियाणा तथा त्रिपुरा ही ऐसे राज्य थे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डेय डी0 एन0–उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम।
2. प्रतियोगिता सम्राट, नवम्बर,1993।
3. प्लानिंग कमिशन–"फस्ट फाइव इयर प्लान", न्यू देल्ही।
4. वहीं, पृ0 139 पंचायतों को विघटन करने का किया। यहां तक कहा गया कि पंचायतों में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गो का आरक्षण नहीं है। संविधान की धारा 243 ई अनुसार यह छः माह के भीतर चुनाव होने थे। लेकिन यहां चुनाव 1997 में सम्पन्न हो सके।
5. ए ड्राट आउट लाइन– थर्ड फाईव इयर प्लान, 1965।
6. डेमोक्रेटिक डेसेन्ट्रर्लाइजेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डाटसन आर्क, जनरल आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन –4 (1) 1938।
7. नारायण इकबाल,इमर्जिग कानसेट्ट इन एम0बी0 माथुर एण्ड इकबाल नारायण इडिसन, पंचायत राज प्लानिंग एण्ड डेमोक्रेसी, 1969।

*****